

फर्द अहकाम
(नियम 26)

आज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

उत्तराम

बनाम

अंवरलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 201/2024

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

09/05/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज
रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती उत्तराम

पिता श्री तुलकाजी बोला

निवासी- रोलाहेडा

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

रोलाहेडा

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर..... 310 312 316
0.30 0.46 0.09

कुल कीता 03 कुल रकबा 0.8500 है0 की पत्थरगढी
कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज
रेकार्ड हैं।

रोलाहेडा (तहसील चित्तौड़गढ़)

अतः प्रार्थी की ग्राम स्थित खातेदारी की भूमि आराजी
नम्बर 310 312 316
0.30 0.46 0.09

कुल कीता 03 रकबा 0.8500 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी
किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का
खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000.00 रुपये अक्षरे ए.ब. ए.जा.र. ए.जा.र.
प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर
पेश हो।

(बीनू देवन)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)